श्री सुरेश पचौरी: सर, मेरी प्रार्थना यह है ...**(व्यवधान)**...

SHRI T.R. BAALU: Sir, I am sorry. Tomorrow, I won't be available throughout the day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The time for seeking clarifications can be fixed on some other day.

श्री सुरेश पचौरी: वह किसी और दिन कर लेंगे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ravula Chandra Sekar Reddy.

SHORT DURATION DISCUSSION (CONTD)

On Heavy floods in various parts of the country and relief measures undertaken by the Government

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. at last, we could come back to the normal business. The request for having a debate on floods is pending for a long time. The debate was initiated by Kalraj Mishraji. We are experiencing floods every year. In some part or the other, we are experiencing floods. Since many Members have spoken about their experiences regarding the floods in various States, I will confine myself to the problems being faced by my own State, Andhra Pradesh.

Sir, during the recent floods, about ten lakh people are affected in my own State, Andhra Pradesh. Sir, 65 persons died in the aggravated flood situation in the State; 14 districts were badly affected; out of them, Kurnool is the worst affected, Sir. Kurnool District in the Rayalaseema area is the worst affected. Apart from Kurnool, East Godavari and West Godavari, Guntur, Prakasam, my own District Mehboob Nagar and Krishna are badly affected by virtue of these unprecedented floods in my State. Sir, about 48,000 cattle were lost, and 13,450 house are fully damaged. According to my information, about 1,87,000 houses are partially damaged by virtue of these floods. We are experiencing cyclones, floods and tsunami, and it has become a regular affair. We are losing a lot of crops and a huge national wealth. Sir, I would request the hon. Minister, apart from concentrating on long-term measures, to concentrate on the temporary measures also.

Sir, this interlinking of rivers, according to me, is most essential. The work started by Mr. Suresh Prabhu as Chairman of that organisation is incomplete. That has to be completed. On most of the occasions, farmers are the worst affected people by virtue of these floods, and whenever there is a calamity, we will be sending a Central team to the State. Sir, it is not- that just the visit of the Central team is delayed, but their submission of report is delayed too, and nobody knows what ultimately happens to the report. I would request the hon. Minister to also revive the guidelines of NCCF (National Calamity and Contingency Fund). The guidelines should be revised. Though there is a partial revision of these guidelines, I would request the Minister to modify these guidelines according to the present needs.

Sir, sea-erosion is another big problem. In my State, places like Kakinada and Vizag are badly affected by virtue of these sea-erosions, silting of rivers and erosion of seabeds. As the riverbeds are filled with sand, there are instances when the

Government of India has taken up certain programmes as national programmes in restoring the rivers, in controlling the floods, whereas in respect of Andhra Pradesh, not even a single project at the national level is taken up. And the funds provided by the Central Government to the State Government are very meagre. They are not having much resources. Due to paucity of funds, they are unable to concentrate on the flood-damage work, and the money given to the State Government is also not fully utilised or is not properly utilised in my own State. I request the Minister to concentrate on the utilisation part also.

Sir, rescheduling of loans is another problem. Whenever loans are rescheduled ...*(Time Bell)*... You want me to complete it now, Sir. Rescheduling of loans is another problem. Whenever rescheduling of loans takes place, the interest is accrued to them. Again, it has become a burden for the farmers. Whenever rescheduling of loans takes place, there should be waiver of interest simultaneously; otherwise, the very purpose of rescheduling the loans will not be served. The unit cost of houses, which are sanctioned on account of floods, is very meagre, going by the present rates of steel, cement and other materials. The unit cost should be increased according to the present rates.

The other point is supply of seeds. When the entire crop is washed away and the farmers are left with no seeds, they go in for private purchase at a high cost, and, ultimately, the cost of production becomes very high. When they go to sell their produce, the minimum support price is not in tune with the money spent by them on agriculture. Whenever there is a calamity, fully subsidised seeds should be supplied to the farmers.

The other category which is badly hit is the fishermen. They are the worst sufferers by virtue of these floods. They should be adequately compensated. Whenever they do not go for fishing they should be given daily wages and they should be given some employment offshore.

Apart from these things, I would request the hon. Minister to interact and discuss these issues with the neighbouring countries like Bangladesh and Nepal. In the morning, we had a question with regard to melting of ice in Tibetan borders. These are the problems which are posing grave concern to States like Bihar and other bordering States. This is high time that the Government initiated a discussion with them and tried to have a concrete proposal with the neighbouring countries so that we are able to control the floods and utilise the flood waters for better purposes, instead of allowing them to destroy our fields and thereby causing loss of human beings, as well as, cattle. I, once again, request the hon. Minister to send the team at the appropriate time, get the reports immediately and process them. Whatever the help that you are going to extend to them, that should be a timely one. If it is delayed, the very purpose will be defeated. With these words, I conclude. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, there are six more speakers. All the political parties, everybody, have exhausted their time. I request you to take the minimum possible time and let us conclude it. Shri Janardhana Poojary.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, last time I made a Special Mention. So, I requested my party not to include my name. ...*(Interruptions)*...

MR DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shrimati Prema Cariappa.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Thank you very much, Sir, and I thank Mr. Janardhana Poojary too.

Sir, I rise to speak on the situation arising out of the floods in various parts of the country. The recurring menace of flood and erosion constitute one of the biggest challenges before the nation today. Over the decades, this has proved to be a perennial bane for the country inflicting extensive damages on agriculture and infrastructure in particular.

Today, different parts of the country are facing the wrath of monsoon, be it Brahmaputra, or, Godavari, or, Ganges, or, Cauvery. The deserts of Rajasthan are also getting floods. A number of people are dying because of floods and many more have fallen ill. When rains have brought relief from heat and cheer to the people, it has led to floods in many States.

Sir, in the State of Karnataka, which is in the grip of rain fury, floods claimed 43 human lives. The State recorded very heavy rainfall from June to 12th August, 2007. The rainfall over the State from 1st June to 12th August is the highest since 1970. During June, the State recorded rainfall which is 54 per cent more than the normal. Districts like Koppal, Raichur, Bellary, Chitradurga, Belgaum, Bidar, Bagalkote, Bijapur, Hassan, Chikamagalur and Kodagu recorded rainfall exceeding 100 per cent than the normal. The areas in Raichur, Koppal and Gulbarga received exceptionally heavy rainfall during the period which was the highest in the last 100 years.

This has resulted in large inflow and all the major reservoirs have reached their full capacity. The huge outflow from the reservoirs has caused floods, inundation and extensive damages to lives, property, infrastructure, agriculture and horticultural crops. The heavy rainfall in the State accompanied by huge releases from reservoirs has resulted in loss of 43 human lives, damage to nearly two lakh hectares of standing agriculture crops like paddy, sugarcane, maize, sunflower, red gram, green gram, etc. Further it has caused damages to infrastructure also.

Sir, the First Flood Memorandum amounting to Rs. 406.42 crores has been submitted to the Central Government. The Central Study Team, which had visited the State, has submitted its report to the Government of India. The Central Government's share of 1st instalment is Rs. 47.40 crores for 2007-08. But the Central Government has released only Rs. 23.70 crores under CRF, deducting Rs. 23.70 crores, which was released as advance during 2006-07.

In the revised guidelines the Central Government has enhanced the compensation, but has not enhanced the CRF annual allocation to States.

Since massive damages have been caused to crops, houses and infrastructure, I would urge upon the Government to release, at least, *ad hoc* amount of Rs. 500 crores under NCCF. to ensure that farmers get adequate support through crop insurance. Accordingly, steps should be taken for the benefit of the farmers. There is a lot to be done for the people in this situation of calamity.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Vidarbha Package. Under the Vidarbha Package, Rs. 2689 crores have been released to Karnataka. This

amount has to be distributed to the six districts of Karnataka, that is, Kodagu, Chikmaglur, Hassan, Belagavi, Shimoga and Chitradurga. All these six districts have been affected very badly. Unfortunately, the Government of Karnataka, instead of releasing the money equally to all these six districts, is diverting this money for some other purpose. Because of heavy rains and floods, people have lost their crops, including falling of coffee seeds. These people have borrowed money from banks and financial institutions. Now they cannot repay their loans. If the Government gives minimum of Rs. 400 crores, to these districts, the farmers will be benefited and will be releived from the burden of indebtedness. I request the hon. Minister to intervene in this matter and see to it that this Vidarbha Package is used for the real purpose and the money is not diverted for some other purpose, so that the people can be saved and are prevented from committing suicide. Thank you.

श्री के.बी. शणप्पा (कर्नाटक): धन्यवाद उपसभापति जी। हमको लगता है कि इस साल के मानसून ने देश भर में बहुत नुकसान किया है, लेकिन हर मानसून में इसी तरह का नुकसान होता है। तकरीबन 60 साल से हमने देखा है। कर्नाटक में इस साल यह हमको सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। हमारे साथियों ने बहुत कुछ उनके बारे में बताया है। I do not want to report all those things. But I would like to say one thing. How far are we are going to tolerate it? We have already crossed 60 years of Independence. इन नदियों से होने वाली बाढ़ को रोकने के लिए अगर कोई ठोस प्रोग्राम नहीं लिए गए तो जान और जानवारों का नुकसान इसी तरह से होगा, crops का भी इसी तरह से नुकसान होगा। खास कर ब्रह्मपुत्रा से लेकर कन्याकुमारी तक इस साल बहुत बारिश हुई है। हैदराबाद और कर्नाटक का रिपोर्ट तो यह आया है कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा, भीमा और मलप्रभा नदियों के किनारे बसा गुलबर्गा, कोप्पल और रायचुर का जो परिस्थिति है वह तो आपको पता है। वहां पर जितने भी डैम हैं अगर उनमें पानी फुल हो जाता है तो उसमें से पानी छोड़ देते हैं। कर्नाटक के तकरीबन 240 गांव इसमें फंस गए। वहां की सरकार ने इन गांवों में फंसे लोगों को दूसरे जगह बसाने के लिए गंजी केंद्र खोला है, कैंप खोला है। इस पर तकरीबन 160 करोड़, पांच सौ करोड़ वहां पर खर्च किया गया है और 525 करोड़ रुपए की मांग केन्द्र सरकार के सामने रखी है। महोदय, अगस्त में केन्द्र सरकार की एक टीम आई थी। अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम आई थी, सर्वे हुआ, उन लोगों ने सही तरीके से रिपोर्ट दी है। मैं होम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि 2007 की जो फ्लड सिचुएशन है, बहुत डीटेल्ड रिपोर्ट इसमें आई है। I appreciate him for taking steps immediately to bring the situation under control. They sent their people to the affected places, particularly, in Karnataka. As my colleague said, for 100 years. इतनी बारिश कभी हैदराबाद में, कर्नाटक में नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि 525 करोड़ की जो immediate relief उन्होंने मांगी है, सरकार का भी बहुत नुकसान हुआ, horticulture crops गईं, 1,25,000 acres of land have been flooded. इसके बावजूद भी वहां की सरकार जितना कर सकती है, वह कर रही है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से यह करूंगा कि Whatever they have requested, – a demand of Rs. 1,225 crores had been submitted to the Government. लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था। 2006 में भी यही प्रॉब्लम थी और उस वक्त जो कुछ भी उन्होंने मांगा था, तकरीबन 400-500 करोड़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। यह दो साल के नुकसान की भरपाई करनी चाहिये और वहां की गवर्नमेंट की मदद के लिए Central Government has to come forward and they have to help the people of Karnataka.

6.00 P.M.

श्री अली अनवर (बिहार): उपसभापति महोदय, पहले बाढ़ आती थी, तो दो-चार दिनों में पानी निकल जाता था, लेकिन अब महीनों पानी जमा रहता है। कुछ ऐसा ही इस सदन में भी, बाढ़ पर चर्चा के दौरान हुआ है। 14 तारीख से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज कुछ देर पहले लगा कि फिर यह पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अच्छी बात है, आप मान गए, आसन पर आ गए और आज पानी निकल जाएगा।

महोदय, वाटर लॉगिंग की समस्या ही बाढ़ की समस्या है। दरअसल मामला यह है कि नदियों के साथ, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ हमने जो छेड़छाड़ की है और उनको अपनी मुट्ठी में करने की जो ठान ली है, तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हम कहने के लिए मजबूर हैं कि आज की जो बाढ़ है और जो सूखा है... मैं बाढ़ और सूखे, दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता हूं। बाढ़ और सूखा अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, मैन-मेड भी है। ये जो बड़े-बड़े बांध हम बनाते हैं, तो यह कोई लोहे की दीवार नहीं होती है, यह बालू का भीत होता है और मूल समस्या यह है कि हम पानी को निकल जाने देंगे कि पानी वहां जमा रहेगा? बाढ़ सुरक्षा के नाम पर जो इंतज़ाम हम कर रहे हैं, वे काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। हम नदियों के बांध को बांध देते हैं, वह गाद से भर जाता है, एक इंच भी पानी होता है, तो फिर बाढ़ आ जाती है और तबाही मचती है। इसीलिए यह मूल सवाल है और इसको इसी रूप में लेना चाहिए।

महोदय, अब हम बताना चाहते हैं कि जो फरक्का बराज बना है, वह एक तरह से पूरा defunct हो गया है। उसके 56 गेट पूरी तरह से permanently बंद हो चुके हैं। उसमें इतना गाद भर गया है कि वहां की नदी की जो धारा है, वह अब बदल रही है और सिर्फ 200 मीटर धारा रह गई है, वह जाकर बगला नदी से मिल जाएगी। बगला नदी से मिलकर यह नदी पागल हो जाएगी और पूरे देश को पागल बना देगी। हम क्या कर रहे हैं प्रकृति को अपने कब्ज़े में करने के लिए, अपनी मुट्ठी में करने के लिए? महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं...इसी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी की तकरीर को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में इस मुल्क की आधी आबादी शहरों में रहेगी और उसके लिए हम इंतजाम में लगे हैं। यह परिभाषा बदली जा रही है। यह हिन्दुस्तान गांवों का देश था। हमारी सरकार और हमारी सरकार के मुखिया उसको शहरों का देश बनाने जा रहे हैं। यह खतरे की घंटी है और यह उल्टी सोच है। हम इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं - इतिहास को पढ़ने वाले लोग जानते हैं - आज जो दिल्ली बसी हुई है, वह कभी फतेहपुर सीकरी में होती थी और इसी पानी की कमी के चलते फतेहपुर सीकरी से उजड़कर, भागकर लोग दिल्ली आकर बस गए और यहां पर दिल्ली बसी, नयी दिल्ली बसी। ...**(समय की घंटी)**... महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी के लिए इसी तरह से भगदड़ मचेगी। हम लोग वीआईपी क्षेत्र में रहते हैं, हमें महसूस नहीं होता है। पानी की एक-एक बूंद के लिए दिल्ली के लोग तरस रहे हैं।

श्री उपसभापति: एक मिनट। होम मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, fortunately or unfortunately, on the same subject, at the same time, we have a discussion in both the Houses. I am informed that I have to reply to the debate in the Lok Sabha. If

you think that after completing my reply in the other House, I can come here ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): कल कर लेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): हाउस एडजर्न कर दीजिए।

श्री उपसभापति: डिसकशन आज कम्पलीट कर लेते हैं। सिर्फ दो लोग बचे हैं। There are only two speakers left. रिप्लाई कल होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: रिप्लाई तो कल होगा, आज थोड़ा ही है। हम लोग रिप्लाई के लिए बैठे ही नहीं हैं। आप आराम से जाइए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Thank you very much.

श्री अली अनवर: महोदय, अभी माननीय सदस्य बशिष्ठ नारायण सिंह जी बता रहे थे कि यमुना नदी पर मॉल बन रहा है। यह दिल्ली को पानी से तरसाने की योजना है। अभी राजधानी के अंदर अक्षरधाम मंदिर बना है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, श्री राजेन्द्र सिंह जी देश के सबसे बड़े पर्यावरणविद् हैं, उनका कहना है कि जहां अक्षरधाम मंदिर के लिए आपने जगह अलॉट की, उस जगह से दिल्ली के लिए चालीस प्रतिशत पानी की आपूर्ति होती थी। आपने वहां पर अक्षरधाम मंदिर खड़ा कर दिया है।

श्री उपसभापति: अली अनवर साहब, आपको समाप्त करना पड़ेगा।

श्री अली अनवर: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह उल्टी गंगा बहाने की बात हो रही है और इससे विनाश के सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है इसलिए पूरी सोच में हिन्दुस्तान को गांवों का देश रहने दीजिए। हिन्दुस्तान अगर शहरों का देश होगा तो लोग भूख से मरेंगे, पानी के लिए मरेंगे इसीलिए उल्टी गंगा मत बहाइए और इन बुनियादी बातों पर प्रकृति के साथ बढ़िए, उसके साथ मिलकर रहिए। प्रकृति के साथ दुश्मनी करके, उसके साथ छेड़छाड़ करके इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, इसै मुग़ालते में उसे नहीं रहना चाहिए। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहले के कई वक्ताओं ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात की। मैं मानता हूं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जो नीति है, वह पानी को मोनोपोलाइज़ करने की बात है। इस देश के कुछ सरमाएदार, कुछ लोग जो दुनिया में दादागिरी करना चाहते हैं, वे पानी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। यह कुदरत के निजाम के खिलाफ है और इसके दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए इस नीति का परित्याग होना चाहिए - हम इसकी जमकर मुखालफत करते हैं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री मंगनी लाल मंडल। मंडल जी, आपकी पार्टी से दो नाम हैं। पहले ही आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): आप एक-एक मिनट दे दीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): महोदय, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा, मैं लम्बा भाषण नहीं करूंगा। महोदय, मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी से हमारे नेता बोल चुके हैं।

श्री उपसभापति: मैं इसीलिए बता रहा हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, देश के इक्कीस प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हैं। एक यूनियन टेरेटरी, भारत सरकार का यह आंकड़ा है। जो क्षति बताई गई है उसमें करीब साढे तीन हजार करोड़ रुपए की क्षति बताई गई है। अभी पांच प्रदेशों ने, कल सरकार का उत्तर आया है कि सिर्फ पांच प्रदेशों ने जो अपना मेमोरेंडम दिया है, उसमें पांच हजार करोड़ रुपए मांगे हैं। इसका मतलब है कि जो इक्कीस प्रदेश हैं, इनसे पंद्रह, बीस हजार करोड़ रुपए का मेमोरेंडम आएगा। यह तो आपदा प्रबंधन की बात है, लेकिन महोदय इसमें दो विभाग निहित हैं। जब बाढ़ आती है, स्थिति बिगड़ती है, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात होती है, रिलीफ की बात होती है तो इसे होम मिनिस्ट्री मोनिटर करती है और इसकी व्यवस्था करती है, लेकिन जो बाढ़ से सुरक्षा की बात है, उसमें वाटर रिसोर्जेस मिनिस्ट्री है इसलिए डिबेट में जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी को भी रहना चाहिए और उन्हें इसे इंटरवीन करना चाहिए। यदि ऐसी परिपाटी नहीं है, तो लोगों को बाढ़ से कैसे निजात मिलेगी? मैं बिहार से आता हूं, बिहार में दो करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। प्रतिवर्ष 68 लाख हेक्टेयर में बाढ़ प्रभावित लोग रहते हैं। वहां 68 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित हमारा इलाका है, इस बार भी करीब-करीब यही स्थिति है। जो तीन हजार किलोमीटर तटबंध है, उससे मात्र 29 लाख हेक्टेयर में लोग बाढ़ प्रभावित सुरक्षित हैं, रेस्ट अभी तक सुरक्षित नहीं हैं। इसमें भी जैसाकि इन्होंने कहा कि हर साल तटबंध की मरम्मत होगी, उसका संपोषण होगा, इसकी कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। महोदय, आपने समय का अभाव बताया है, इसलिए दो बातें कहना चाहूंगा कि मैं बिहार से आता हूं और बिहार की सारी नदियां नेपाल से निकलती हैं। देश के कुछ हिस्सों में तिब्बत से नदियां निकलती हैं। बाढ़ से मुकम्मल इंतजाम की उसकी सुरक्षा हो तो नेपाल के भरोसे छोड़ा जाता है। अभी सरकार का जो जवाब आया है और माननीय मंत्री जी का जो एक पत्र मुझे मिला था, उसमें विरोधाभास है। विरोधाभास यह है कि यह जो जल संसाधन मंत्रालय है, उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन होता है और एक नेशनल वाटर डेवलेपमेंट एजेंसी है, इन दोनों से एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें यह था कि बिहार और दूसरे प्रदेशों को, जहां नेपाल से नदियां आती हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाएगा। इसमें तीस लिंक्स का पता चला था कि इंटर बेसिन वाटर का सरप्लस से जहां डेफिसिट है वहां ट्रांसफर करेंगे। यह अभी तक नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने कहा है, हमने खासकर बिहार के बारे में जानना चाहा है, उन्होंने कहा है कि कोसी-मेची इंटरलिंकिंग, कोसा-घाघरा इंटरलिंकिंग, गंडक-गंगा इंटरलिंकिंग, इसके लिए नेशनल डेवलेपमेंट वाटर एजेंसी से कहा गया है कि ये पर्सपेक्टिव प्लान बनाकर दें कि इस पर कैसे काम होगा। इसमें कहा जाता है कि जो इंडियन टेरीटोरी है, यदि नेपाल की सहमति नहीं होगी, क्योंकि नदियां बहुत हैं, लगभग एक दर्जन नदियां हैं, एक दर्जन नदियों पर मल्टी परपज हाई डैम बनाने पड़ेंगे, बहुउद्देशीय ऊंचे डैम बनाने पड़ेंगे, सभी पर नेपाल सहमत नहीं होगा। भारत सरकार ने पांच साल पहले सिर्फ कोसी पर बहुउद्देशीय डैम बनाने के लिए तीस करोड़ रुपए दिए थे। डी.पी.आर. बनाने के लिए अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इतनी सारी नदियां हैं। एक बात तो यह है कि इस पर नेपाल सहमत नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन टेरेट्री में इन नदियों को जोड़ने की बात चल रही है। एक नदी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा यह है कि 21.8.2007 को जो उत्तर आया है, उसमें विरोधाभास है। इसमें कहा है कि एक टास्क फोर्स और फ्लड मैनेजमेंट इरोजन कंट्रोल 2004 बना है, सरकार ने बनाया है। उसमें कहा गया है कि कैसे प्रोग्राम होगा, इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा इसके लिए नेपाल से बात कीजिए। इसमें कहा गया है कि जब तक नेपाल सहमत नहीं होगा, तब तक फ्लड कंट्रोल नहीं हो सकता है। इन दोनों में विरोधाभास है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री ही से यह जानना चाहूंगा और अनुरोध करना

चाहूंगा कि यदि इस विषय पर आप आपदा प्रबंधन करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तो इस पर साथ-साथ होम मिनिस्ट्री में सैल भी हो। अगर वाटर रिसोर्जेस मिनिस्ट्री इस विरोधाभास को पार करके चल रही है तो बिहार सहित कई प्रदेश बर्बाद हो रहे हैं। बिहार में जो पांच सौ करोड़ रुपए दिए हैं, वह खर्च नहीं हो रहे हैं। अली अनवर साहब जनता दल (यू) के हैं, उसी पार्टी के हैं, जिसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां बैठे हैं। वे एक नदी को दूसरी नदी में मिलाने के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बात होनी चाहिए कि बिहार में आपदा प्रबन्धन में जो पैसा है, वह खर्च नहीं हुआ। भारत सरकार ने पैसा दिया है और बिहार सरकार ने अभी कोई memorandum नहीं दिया और बिहार सरकार ने कहा ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप समाप्त कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडलः दीर्घकालीन, मध्यकालीन ऋण चाहिए, memorandum नहीं दिया। इसलिए मैं यह मांग करता हूँ कि बिहार के मामले में यहाँ से एक विशेष टीम जाए। बिहार सरकार लोगों की जान-माल की सुरक्षा में विफल हो गई है। बिहार सरकार के पास कोई vision नहीं है कि आज भी किसी inter-linking प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से मदद लेकर उस पर कार्रवाई करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब उत्तर हो, तो इस पर भी उत्तर होना चाहिए और माननीय जल संसाधन मंत्री को बुला कर इस पर उनका एक intervention हो, उनका एक वक्तव्य हो, तब माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य दें। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री बशिष्ट नारायण सिंह (बिहार): उपसभापति महोदय, प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी हम लोग सदन में बाढ़ की गम्भीर समस्या पर विचार कर रहे हैं। जब भी बाढ़ आती है, तो राज्य सरकारों से प्राप्त रपट और केन्द्र सरकार के द्वारा किया गया इन्तजाम, इन दो तर्कों पर ही खत्म हो जाया करती है। इस बार तो भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि उसने संसद सदस्यों को एक पुस्तिका देने का काम किया है। भारत के कई राज्य आज बाढ़ से प्रभावित हैं। सदन में चर्चा का केवल यह महत्वपूर्ण विषय नहीं रह गया है कि बाढ़ में आपने क्या किया है, कितनी राहत दी है, केन्द्र से कितना पैसा गया है और राज्य सरकारों ने क्या कमियाँ की हैं। यदि बहस का मुद्दा केवल यह रहेगा, तो इस बाढ़ की गम्भीर समस्या पर कभी भी न्याय नहीं हो सकता। अब तो बाढ़ का स्वरूप बदल रहा है, अब तो मौसम का स्वरूप बदल रहा है। राजस्थान में कभी बाढ़ नहीं आती थी, तब राजस्थान में बाढ़ आ रही है। मुम्बई में बाढ़ नहीं आती थी, वह शहर भी अब बाढ़ से प्रभावित होने जा रहा है। बाढ़ ने एक नया स्वरूप ग्रहण किया है कि मुम्बई पर विचार हो और पटना शहर पर भी विचार हो। बाढ़ के इस स्वरूप पर विचार करने के लिए जान-माल इतना गया, पशु इतने चले गए, फसल इतनी चली गई, इतने घर बर्बाद हुए, इतने तटबन्ध टूटे, ये सारे सवाल बराबर बहस के मुद्दे बनते हैं और आगे भी बनेंगे। हम आपसे आज यही आग्रह करना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार एक स्थाई नीति का निर्माण करने की कोशिश करे और राज्य सरकारों से इस समस्या पर अनवरत विचार करके काम करने का प्रयास करे। उपसभापति महोदय, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि इस सदन में पहले से जो कुछ वक्तव्य आए हैं, उनके ऊपर सरकार ख्याल नहीं करती है। पिछले दिनों सिंचाई मंत्री ने गाँवों के water bodies के सवाल पर एक वक्तव्य दिया था, जिसका बाढ़ की समस्या से बहुत रिश्ता था। यह बयान दिया था कि भारत के गाँवों में यानी राज्यों के गाँवों में जल संचयन के लिए हम क्या-क्या कर रहे हैं। महोदय, water bodies

के विषय में यह कहा गया था कि भारत सरकार ने 2004 में restoration, rehabilitation के लिए योजना बनाई है और आज 2007 तक उसका आधा पैसा भी खत्म नहीं हुआ है... ...**(व्यवधान)**... गाँवों में से बरसात के बाढ़ का जो पानी निकलता है, वह नदियों में जाता है। नदियों में पहले से आया हुआ पानी और अब गाँवों से और शहरों से निकला हुआ पानी जब नदियों में आता है, तो नदियों में बाढ़ की स्थिति क्यों नहीं भयावह हो सकती है। मैं सरकार को स्थाई नीति बनाने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार जो भी कहती है, उसके ठीक विपरीत काम करती है। महोदय, मैंने एक उपमा villages के water bodies की दी। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, जिसकी चर्चा अभी अली अनवर साहब ने की, वह है यमुना नदी का। पानी के सवाल पर दिल्ली को यमुना के तट पर बसाया गया और यमुना उजड़ रही है। उपसभापति महोदय, यमुना नदी में 40 फीट गहराई तक कई किलोमीटर क्षेत्र में रेत पड़ी हुई है। यदि यमुना नदी को खोद दिया जाय, तो दिल्ली को पानी के सवाल से कभी जूझना नहीं पड़ेगा। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए वहाँ आलीशान भवन बनेंगे। जिस दिन जमुना के तटवर्ती इलाकों में कंक्रीट के जंगल बसा दिए जाएँगे और यदि आलीशन घर तथा मॉल्स वहाँ पर बन जाएँगे, तो दिल्ली को पानी के अभाव से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। आज वहाँ पर सत्याग्रह चल रहा है। गाँव-गाँव के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सरकार उस बात को वहाँ पर जाकर देखे। ...**(समय की घंटी)**... उपसभापति महोदय, मेरा एक बड़ा अनुभव है। मैं उस सत्याग्रह स्थल पर देखने के लिए गया था। एक सरकारी पदाधिकारी वहाँ पर आए। वे किसानों से कह रहे थे कि आप जल्दी में अपनी बात कहें। हमने कहा कि आप यहाँ इसी काम के लिए आए हैं, तो जल्दीबाजी में नहीं, ठीक से बात हो सकती सुनिए, सरकार को आपको रिपोर्ट देनी है। मैं स्वयं वहाँ पर खड़ा हूँ और वह पदाधिकारी तमतमाता हुआ वहाँ से चल दिया। यदि आलीशान भवन में रहने वाले पदाधिकारी इसी तरह से जहाँ जनता उलझ रही है, उसकी समस्या को देखने का काम करें, तो इस तरह की गम्भीर समस्या का निदान नहीं हो सकता है।

उपसभापति जी, चूँकि आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ और समय कम है, मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ।

नदियों के ऊपर, एक स्थाई इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात चल रही है। जिस समय तटबंध से ऊपर पानी आ जाता है, उस समय देश की क्या स्थिति हो जाती है? तटबंध टूटते हैं और बाढ़ की एक वजह भी बनते हैं। आज तटबंधों के निर्माण के लिए साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका इवॉल्व करने की जरूरत हो गई है, क्योंकि नदियों का स्वरूप बदलता जा रहा है।

महोदय, मैं एक अंतिम बात कह कर समाप्त करूँगा। मेधा पाटेकर जी के विषय में सभी लोग जानते हैं। आज वर्षों से मेधा पाटेकर जी के नेतृत्व में देश में पुनर्वास की समस्या पर एक गम्भीर आन्दोलन चल रहा है। हमारे पास उनका खत भी आया था तथा उनके कुछ लोग भी आए थे। हमने यही कहा कि आप स्थाई प्रोपोजल बनाइए। हमको लगता है कि 10-12 दिनों के अन्दर स्थाई प्रोजेक्ट बन सकता है। भारत सरकार कभी उनको बुलाती है, कभी उनसे बात करती है, उनके तर्कों को मानती है और फिर अपने तौर-तरीकों से बढ़ने का काम करती है, गाँवों के जल-संचयन का काम, नदियों को बचाने का काम, आदि। मेधा पाटेकर जी ने जनता के पुनर्वास की नीति पर लोगों के बीच अनवरत काम करने का जो काम किया है, उनसे बात करने का काम भारत सरकार को करना चाहिए।

उपसभापति महोदय, ट्रेजडी तो यह है कि वृक्ष कैसे लगाये जाते हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम सारे देश में चल रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... महोदय, जब प्रकृति के द्वारा पानी बरसता है और यदि वहाँ कमज़ोर झाड़ीदार वृक्ष रहते हैं, तो वह पानी भू-परत को प्रभावित करता है तथा परत का क्षरण करता है। हम आग्रह करेंगे कि वृक्षारोपण की नीति में परिवर्तन कर केवल झाड़ीनुमा वृक्ष नहीं लगाए जाएँ, बड़े वृक्ष भी लगाए जाएँ। बड़े वृक्ष न केवल लोगों की रक्षा करते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और नदियाँ जीवन की सुरक्षा करती हैं।

इतना ही कहते हुए मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए एक स्थाई नीति बनाई जाएगी। यदि भारत सरकार हरेक साल बाढ़ के ऊपर रिपोर्ट दे, चूँकि संघीय राज्य के प्रबंधन की जिम्मेदारी मूलतः भारत सरकार की है, तो राज्य सरकार से अनवरत सम्पर्क कर के एक स्थाई और कार्यबद्ध योजना बनाई जाए, जिससे इस देश को बाढ़ से बचाया जा सके तथा इस देश के शहरों को आने वाले समय में एक नारकीय स्थिति से बचाया जा सके। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपसभापतिः श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (उत्तराखंड): उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जो चिंता जाहिर की है और उससे निपटने के संदर्भ में जो सुझाव दिए हैं, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि बाढ़-नियंत्रण के संदर्भ में एक स्थाई नीति बननी चाहिए। मैं उसके एक छोटे-से पहलू की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अधिकांश क्षेत्रों में, विशेष तौर पर फुट हिल्स में, चाहे वे बिहार के फुट हिल्स हों, चाहे बंगाल के हों या चाहे उत्तर प्रदेश के हों, वहाँ जो बाढ़ आती है, उस बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, उन क्षेत्रों के अन्दर भू-संरक्षण की, soil conservation की स्कीम्स का कमजोर होना, जंगलों का कटना तथा उन क्षेत्रों के अन्दर जल-संरक्षण की योजनाओं पर अमल न करना रहा है। यदि इस विषय में ऐसे राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत कर एक व्यापक योजना तैयार की जाए जिस में वृक्षारोपण, भूमि-संरक्षण और जल-संरक्षण - ये तीनों स्कीम्स एक साथ लागू की जाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक बिहार और उत्तर प्रदेश की बाढ़ विभीषिकाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

सर, बाढ़ से हम को दो प्रकार के नुकसान होते हैं। एक तो बाढ़ से जन-जीवन का नुकसान होता है, वह अपनी जगह है। साथ-ही-साथ जो हमारे डैम्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के विद्युत जलाशय बने हुए हैं, उन का जीवन भी घटता जा रहा है। तो हम को जितना नुकसान है, यदि उस नुकसान को preventive measures पर लगाने के लिए उपाय करें और ऐसे राज्यों से बातचीत करें, तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा उपयोगी और कारगर कदम हो सकता है।

सर, मैं इस सदन का ध्यान विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में land slide की घटनाओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, पिछले कुछ वर्षों से पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। महोदय, बादल फटने से एक निश्चित स्थान पर मूसलाधार बारिश होती है जिस से चारों तरफ के गांवों में तबाही आती है। इस तरह की तबाही से हिमाचल व उत्तराखंड में सैकड़ों लोग मरे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 50 के करीब मौतें हुई हैं और

हिमाचल में भी होम मिनिस्टर के पास information होगी, वहां भी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। आज बादल फटने की घटनाओं में जो लगातार वृद्धि हो रही है, यह जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई घटना है। महोदय, मैं समझता हूं कि यदि हमारे वैज्ञानिकों को इस काम पर लगाया जाए कि बादल फटने की घटनाओं का पूर्वाभास हो सके, pre-warning system हम develop कर सकें तो बहुत सारे लोगों के जीवन की रक्षा हम कर सकते हैं, उन को बचाया जा सकता है। महोदय, दूसरा पक्ष, land slide के साथ भी है। मैं हाल ही में एक न्यूज आइटम पढ़ रहा था जिस में आई०आई०टी० रुड़की के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे इस तरह का यंत्र डवलप कर रहे हैं जिस से कि land slide की पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है। महोदय, यह land slide कोई एक घंटे या दो घंटे की बारिश में नहीं होता है। यह दो-तीन या हफ्ते की प्रक्रिया होती है जिस में जमीन की ऊपरी सतह पर पानी और धूप का असर पड़ता है, जो परिवर्तन आता है और बारिश के बाद एकदम गर्मी आने से, उन सब का cumulative effect रहता है। तो उस की भविष्यवाणी करवाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि यदि इस तरह की कोई रिसर्च हो रही हो तो होम मिनिस्ट्री को उसे encourage करना चाहिए ताकि जो land slide prone-areas हैं, उन एरियाज में हम इस तरह की devices लगाकर, पहले से इस बात की जानकारी कर सकें कि किन एरियाज के अंदर land slide आने की संभावना है।

सर, इस समय हमारे पास कोई consolidated information नहीं है कि land slide prone areas देश के अंदर कौन-कौन से हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष तौर पर हमारे अपने राज्य में नहीं हैं, मैं कम-से-कम यह कह सकता हूं। महोदय, आज सैटेलाइट के जरिए और दूसरी उपलब्ध टैक्नॉलोजी के जरिए इस की मैपिंग की जा सकती है और स्टेट व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस की पहले से जानकारी दी जा सकती है और आवश्यक प्रबंधन या आपदा प्रबंधन करने के विषय में उन्हें कहा जा सकता है कि आप ये उपाय कीजिए। उपसभापति महोदय, मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर आप के माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर कुछ जिले ऐसे हैं जिन में हर वर्ष इस तरह की घटनाएं होती हैं। बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइड होते हैं, बड़े पैमाने पर गांव के गांव खिसकते हैं, लोगों की बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। हम लोग अपनी चर्चा में कहते हैं कि ये एरियाज खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को हम दूसरी जगह शिफ्ट करने के उपाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ तो वे लोग, जिनको हम हटाना चाहते हैं, उनको अपने गांव, अपनी जमीन से मोह होता है और कुछ सरकार के अपने संसाधनों की कमी के कारण ऐसा होता है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय ऐसे जिलों का सामूहिक बीमा, जिलों का ही अपने आप एक बार इंश्योरेन्स हो जाए, ताकि लोगों का जो हर साल नुकसान होता है, जिससे उन लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, उससे उनको कम्पनसेट किया जा सके। तो यह सामूहिक बीमा योजना उन एरियाज के लिए इंटरोड्यूस करने का मैं सुझाव देता हूँ।

उपसभापति महोदय, मैं एक सुझाव आपदा प्रबंधन तंत्र के विषय में देना चाहूंगा। इस बारे में बहत सी बाते हुई हैं और बहुत अच्छी बातें हुई हैं, भारत सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन यह तंत्र जहां काम होना है, वहां कितना प्रभावी है? कभी इसकी जानकारी ली जाए, तो आपको यह जानकर तकलीफ होगी कि महज खानापूर्ति हो रही है। क्या दो दिन के अंदर हम किसी विभाग के लोगों को, चाहे वह पुलिस विभाग ही क्यों न हो, हम उनको यह दक्षता दे सकते हैं कि वे इस तरह की विभीषिकाओं से निपट सकें? उनमें पड़े हुए लोगों को राहत देने का काम कर सकें? मेरा आग्रह है कि पहले तो आप हर राज्य के अंदर आपदा प्रशिक्षण

संस्थान खोलिए, जिसके अंदर न केवल स्वयं सेवी संस्थाओं को, बल्कि सरकारी विभागों को भी, इससे जुड़े हुए हैं, आपदा प्रबंधन की विधिवत तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude.

SHRI HARISH RAWAT: I will conclude within 2-3 minutes. सर, हो सके तो उसमें पुलिस तंत्र और दूसरे विभाग, जिनको इमीडिएटली रश करना पड़ता है, उनको हम इस प्रकार की ट्रेनिंग दें और उनके पास उपकरण भी हों, क्योंकि उपकरणों का सर्वथा अभाव है। आज अगर कहीं बस गिरती है, तो लोग लेकर क्या पहुंचते हैं? रस्सी। रस्सी से आप क्या करेंगे? रस्सी से तो घायल को भी नहीं निकाल सकते। चूंकि प्रशिक्षण है नहीं, तो फिर आर्मी के जवानों को बुलाना पड़ता है और यदि आर्मी उपलब्ध नहीं है तो छह-आठ घंटे के बाद या फिर एक दिन के बाद आर्मी पहुंचती है, तब जाकर वहां राहत मिल पाती है। तो जिलों में इस तरीके के उपकरण उपलब्ध हों। यह मेरा अनुरोध है।

उपसभापति जी, यहां पर मैं विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा तंत्र को मजबूत करने के विषय में कहना चाहूंगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र अलग-थलग पड़े हुए क्षेत्र हैं। यहां एकदम से राहत नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसलिए उन क्षेत्रों में दोनों प्रकार के, प्रशिक्षण संस्थान भी हों, प्रशिक्षित तंत्र भी हो, उसके साथ-साथ आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध हो, यह मेरा आग्रह है।

श्री उपसभापति: रावत जी, आपका समय डबल हो गया है।

श्री हरीश रावत: सर, इस वर्ष उत्तराखंड में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, मगर लोगों को समय पर राहत नहीं मिल पाई। एक-एक हफ्ते तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई, गांव के गांव कटऑफ रहे। इसमें कुछ दोष भौगोलिक परिस्थितियों का है और कुछ हमारी सरकार का भी है, क्योंकि सरकार का पूरा तंत्र मुख्यमंत्री को चुनाव में राहत देने में लगा हुआ था और वहां उन गांवों में लोगों को सात-सात, आठ-आठ दिन तक खाने को नहीं मिला है। इसमें पिथौरागढ़ का जिला और उत्तर-काशी का जिला वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को आपदाग्रस्त जिला घोषित किया जाए। हमने राज्य सरकार से भी आग्रह किया है और गृह मंत्रालय से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनको आपदाग्रस्त डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाए।

उपसभापति जी, उत्तराखंड के अंदर इस साल बड़ी भारी तबाही आई है। सरकार चाहे किसी पक्ष की हो, मगर हम प्रबल तौर पर उत्तराखंड के लोगों की तरफ से आग्रह करना चाहेंगे कि राज्य सरकार को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि अभी तक वहां की राज्य सरकार केवल नाममात्र की सहायता उपलब्ध करवा पाई है। धन के अभाव में मुख्यमंत्री जी के हाथ, वे बताते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। कृपा करके उनको कुछ मदद दे दीजिए, ताकि उनके हाथ मदद के खुल सकें। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: लास्ट स्पीकर, श्री राजनीति प्रसाद। आप मुझे एक मिनट बोलने के लिए बोल रहे हैं, एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कीजिएगा।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सर, मेरा नाम भी था।

श्री उपसभापति: आपने खुद ही इनको अपना समय दे दिया।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा नाम भी था।

श्री उपसभापति: अच्छा, ठीक है। आप ज्यादा समय नहीं लेंगे न।

श्री राजनीति प्रसाद: उपसभापति जी, मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार से आया हूं और उत्तर बिहार में बाढ़ नियति है, रुटीन के तरीके से वहां बाढ़ आती है और उसकी तैयारी भी सरकार को करनी होती है, सरकार करती भी है। इस बार पता नहीं क्यों, बिहार के लिए कहर था। लगातार 8-10 दिन तक, जैसा आप कह रहे थे बादल फटने का काम हुआ, लगातार पूरे बिहार में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ की विभीषिका तो थी ही, बारिश ने भी कहर मचाया - बारिश से शहर डूब गए और बाढ़ से गांव डूब गए। बिहार में यह हुआ है। मैं पटना का रहने वाला हूं, मैंने और हमारे पटना के सांसद, श्री राम कृपाल यादव, दोनों ने, हम लोग तो भूख हड़ताल करते नहीं हैं, 24 घंटे की हमने वहा भूख हड़ताल की 24 घंटे लोग भूखे रहे। आधे लिवर का आदमी 24 घंटे भूखा रहा कि बाढ़ के लिए कुछ करो। वहां तो नाव भी नहीं मिलती थी, बाढ़ राहत के लिए नाव भी नहीं मिलती थी और जो हमारे मुख्य मंत्री थे, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, हम लोगों ने उनको बोला कि बाढ़ है आप मत जाइए, लेकिन वे मारीशस चले गए और 8-10 दिन के बाद आए। मैं नहीं कहता कि उनके जाने से बाढ़ आ गई, लेकिन अगर आप मुखिया हैं तो आपको दुख में वहां रहना चाहिए था।

सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह August House है और यहां पर हमेशा बाढ़ के बारे में बात होती है, हर साल बात होती है। सर, 40 आदमी हैदराबाद में मर गए तो यहां कंडोलैंस मीटिंग हो गई और इस पर बहस हो गई, लेकिन हर साल हजारों-हजार आदमी बाढ़ से मर जाते हैं लेकिन हम केवल चर्चा करते हैं - *मर्ज़ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की*। जहां-जहां हम लोग काम करते हैं, उतनी ही बाढ़ आती है, उतना ही लोगों का नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या कोइ उपाय नहीं हो सकता? हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बाढ़ से कोई उपाय नहीं हो सकता? श्री के०एल० राव साहब थे यहां, उन्होंने कहा कि नदियों को बांधो, नदियों को इंटरलिंक करो। अली अनवर साहब ने कहा इंटरलिंक नहीं हो सकता, पानी पर किसी का स्वामित्व हो जाएगा। इंटरलिंक कर देंगे, दक्षिण बिहार में, जहां सुखाड़ है, वहां पानी नहीं है, वहां उत्तर बिहार का पानी जाएगा, उत्तर बिहार का पानी यदि दक्षिण बिहार में जाएगा तो कुछ हो सकता है। साइंस इतनी आगे बढ़ गई, आप कहां-कहां जा रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या, सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे कि नदियों को बांध दिया जाए और जान-माल की रक्षा की जाए? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, वरना हम भी कहते रह जाएंगे, आने वाले लोग भी कहते रह जाएंगे और यहां कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, सरकार से चाहता हूं कि आप नदियों को इंटरलिंक करिए, तटबंधों को ठीक से बनाइए और बाढ़ अगर आ जाए तो आप उससे सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, नाव दीजिए। वहां नाव भी नहीं होती है और लोग डूबते-डूबते बाढ़ से बाहर निकलने का काम करते हैं। इसलिए, बाढ़ से जीवन को बचाने के लिए आप जरूर कुछ करिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शायद मैं आखिरी स्पीकर हूं, मुझे आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रुद्रनारायण पाणि: उपसभापति महोदय, मुख्य मंत्री कभी बाहर चले जाते हैं तो बाढ़ तीव्र हो जाती है, यह तर्क अत्यंत दुर्बल तर्क है। हमारे यहां मुख्यमंत्री होते हैं, साथ-साथ उप मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, साथ-साथ उप प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन बांद में शायद गद्दी कोई ले लेगा, इसके लिए यहां पर कोई उप-प्रधान मंत्री का प्रबंध नहीं है, उप-मुख्य मंत्री का प्रबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रबंध है "ऊपर-प्रधान मंत्री" का, यहां पर ऐसी एक सरकार होती है, जहां प्रधान मंत्री होते हैं और उन प्रधान मंत्री के ऊपर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप subject पर बात कीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: मैं बाढ़ पर भी आऊंगा और हमारे प्रदेश में जो बाढ़ आई, इस पर भी आऊंगा। उड़ीसा में जो बाढ़ आई है, उसके प्रति केन्द्र का जो रवैया है, यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इस बार उड़ीसा में जो बाढ़ आई है, उसमें 36 लोगों के जीवन की हानि हुई है, लेकिन इससे पहले 2006 में जो बाढ़ आई थी, वह 5 phases में आई थी और हमने 2,382.43 करोड़ रुपए NCCF से मांगे थे, लेकिन आपने मात्र 25 करोड़ रुपए ही दिए। मैं "ऊपर-प्रधान मंत्री" की बात कर रहा था, मैं उससे हटने वाला नहीं हूं। असम में जो बाढ़ आई, इस देश के प्रधान मंत्री, असम के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इस देश के प्रधान मंत्री जो असम से चुनकर संसद में आए हैं, वे वहां पर नहीं गए, कह दिया गया कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: Subject क्या है और आप क्या बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: कह दिया गया कि हम दूसरे नेता को भेज रहे हैं। ठीक है, आपकी सरकार चल रही है, आप अभी तर्क दे रहे थे कि मुख्य मंत्री बाहर चले गए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप subject पर बोलेंगे तो मैं permission देता हूं, अगर आप flood पर बात कर रहे हैं, तो ठीक है, वरना let us close it. इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: उपसभापति जी, रायगढ़ा में बाढ़ आई ...**(व्यवधान)**...

श्री वी. नारायणसामी (पांडिचेरी): आप वहां नहीं गए थे।

श्री रुद्रनारायण पाणि: मैं वहां गया था। एक सीनियर मेंबर द्वारा इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कतई उचित नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं ...**(व्यवधान)**... इस हैसियत से वे अपनी पार्टी के संगठन के काम के लिए जाते हैं, उड़ीसा के बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए नहीं जाते हैं, वे अपनी राजनीति करने के लिए, अपने काम करने के लिए जाते हैं।

श्री उपसभापति: आपको समय दिया गया है flood पर बात करने के लिए, आपकी state की problems को सदन में रखने के लिए, वह रखिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: यहां पर हर स्टेट के लोग कहते हैं कि हम गरीब राज्य हैं, लेकिन यह तो दुनिया जानती है कि उड़ीसा में 47 प्रतिशत लोग below poverty line रहते हैं। सबसे गरीब प्रदेश उड़ीसा है और 2,382.43 करोड़ रुपए हमने मांगे थे, लेकिन हमको दिए गए मात्र 25 करोड़ रुपए। पिछले साल यानी आज से लगभग एक साल पहले

प्रधान मंत्री जी उड़ीसा गए थे, वहां इतनी बारिश हुई थी, 28-29 अगस्त, 2006 को माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के राजभवन में रहे और इतनी बारिश हुई ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. NARAYANASAMY: What about 2007?

श्री उपसभापति: ठीक है, वह खत्म कर रहे हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: उपसभापति महोदय, 2006 में हमने 2,382.43 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन आपने हमें मात्र 25 करोड़ रुपए दिए और हमारे साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जिस पार्टी का शासन देश में है, उस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो अपने प्रदेश का प्रभारी है, वह इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपको interest नहीं है इस विषय पर बोलने में?

श्री रुद्रनारायण पाणि: उपसभापति जी, मेरा इतना ही कहना है कि हमने NCCF से 2,382.43 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन आपने मात्र 25 करोड़ रुपए दिए। सुनिए, सारे हाउस को सुनना चाहिए ...**(व्यवधान)**... मेरे पास फिगर्स हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई disturb करके मुझे de-rail कर देगा, फिगर्स मेरे दिमाग में हैं, मेरे मुंह में हैं। इस साल हमने 507 करोड़ रुपए मांगे हैं, लेकिन पिछले साल की हमारी जो मांग है 2,382.43 करोड़ रुपए इसमें से हमे केवल 25 करोड़ रुपये मिले हैं ...**(व्यवधान)**... आप repeat करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपको सामान्य धीरज भी नहीं है। उड़ीसा के लोग आपको किस प्रकार ग्रहण करते हैं, यह सारी दुनिया जानती है ...**(समय की घंटी)**... ...*(Interruptions)*... Is it not a joke? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए। आपका point आ गया, समाप्त कीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, राष्ट्रीय स्तर पर मेरा इतना कहना है कि सन् 2004 में Calamity Relief Fund के guidelines को review करने के लिए जो GoM बना था, उस GoM का क्या हुआ? कृपा करके माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो इसका भी उत्तर देंगे।

श्री उपसभापति: वह उसको देंगे। The debate on floods is concluded and the reply will be later. The House is adjourned to meet tomorrow at 11 o'clock.

The House then adjourned at forty-one minutes
past six of the clock till eleven of the clock
on Friday, the 31st August, 2007.